

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
शुक्रवार, 22 अगस्त, 2008/श्रावण 31, 1930 (शक)

संख्या- 272

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित,
एस.एच.ओ., फर्श बाजार, पूर्वी दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य,
डॉ.हर्षवर्धन को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत, दिनांक
21.08.2008 को 11.45 बजे गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन, उसी स्थान से 12.40 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Friday, 22nd August 2008/ 31 Sarvana, 1930(Saka)

No. 272

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBER**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha,
Delhi, was received from SHO Farsh Bazar, East Distt., Delhi.

"I have the honour to inform you that Dr Harsh Vardhan, Hon'ble Member
of Legislative Assembly, Delhi, was detained u/s 65 of Delhi Police Act at
1145 Hrs. on 21.08.2008.

He was released at 1240 Hrs. from the same place on the same date.”

Siddharath Rao
Secretary